**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

**पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 146/2016 (उदयपुर डिक्री)**

श्रीमती हंजा बाई (पिता किशोरसिंह जी) पत्नी सरदारसिंह जी राजपूत, निवासी बिछीवेडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

**बनाम**

1. मनोहरसिंह पिता किशोरसिंह जी राजपूत, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. हमेरसिंह पिता किशोरसिंह जी राजपूत, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. दौलतसिंह पिता नवलसिंह जी देवडा, निवासी माता जी का खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. प्रतापसिंह पिता भंवरसिंह जी सारंगदेवोत, निवासी कच्छेर अडिन्दा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती शान्ता कुंवर पत्नी कानसिंह जी राणावत, निवासी बरोडिया, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती राज कुंवर पत्नी गोपालसिंह जी राजपूत, निवासी गुडेल, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती पुष्पा कुंवर पत्नी जवानसिंह जी राजपूत, निवासी गुडेल, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती गीता कुंवर पत्नी वाघसिंह जी देवडा, निवासी बिच्छावाडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती बसन्त कुंवर पत्नी मक्खनसिंह जी देवडा, निवासी बिच्छावाडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी दशरथसिंह जी झाला, निवासी करोली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
11. श्रीमती करूणा पत्नी प्रवीण जी जैन, निवासी 52, अशोक नगर, उदयपुर।
12. श्रीमती केसर कुंवर पत्नी भैरूसिंह जी राजपूत, निवासी अमरपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
13. श्रीमती कल्पना पत्नी राजेन्द्र जी धाकड़, निवासी 8, सुभाषनगर, उदयपुर।

14. श्रीमती प्रकाश पत्नी लादूलाल जी जैन, निवासी 56, आनन्दनगर, उदयपुर
15. श्रीमती कुलदीप पत्नी भगवतीलाल जी जैन, निवासी 41, आनन्दनगर, उदयपुर (राज.)
16. सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
17. मैसर्स नवकार प्रमोटर्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय–103, प्रथम मंजिल, 99 एल–रोड़, भुपालपुरा उदयपुर जरिये निदेशक शान्तिलाल पिता कन्हैयालाल जी मेहता, निवासी 98, एल–रोड़, भुपालपुरा उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 30.08.2016 प्र.सं. 4/2014

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री खेमराज डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सुनील कुमार शर्मा अभि.रे.सं. 3 से 9, 13 से 15
3. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 17

———:::———

**निर्णय** **दिनांक 25–11–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा देबारी में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित परिशिष्ठ ''क'', ''ख'', ''ग'' एवं ''घ'' की भूमियां स्थित हैं। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष किशोरसिंह के चार पुत्र देवीसिंह, हमेरसिंह, मानसिंह व मनोहरसिंह एवं एक पुत्री वादिया हंजाबाई हुई। देवीसिंह व मानसिंह लाऔलाद फोत हो गये तथा मनोहरसिंह व हमेरसिंह प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हैं। उक्त भूमियां किशोरसिंह के समय की होकर उनकी मृत्यु पर उनके बड़े पुत्र देवीसिंह के नाम दर्ज हो गयी, जबकि उक्त आराजियात में किशोरसिंह के सभी वारिसान का बराबर–बराबर हक हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज हैं। देवीसिंह के लाऔलाद फोत होने से भूमियां वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में निहित हुई एवं प्रत्येक का

1/3, 1/3 हिस्सा है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पटवारी से मिलकर भूमियां अपने नाम दर्ज करवा ली तथा भूमियां अन्य प्रतिवादीगणों को विक्रय कर दी, जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। विक्रय पत्र की आड़ में प्रतिवादीगण वादीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित परिशिष्ठ ''क'', ''ख'', ''ग'' एवं ''घ'' की भूमियों में वादिया को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 30–08–2016 से वादीया का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–12–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 9 व 13 से 15 की ओर से वकील श्री सुशील कुमार शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 17 की ओर से वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कथित निर्णय अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है, जिसकी जानकारी उसे दिनांक 19–12–2016 को हुई। अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का मनन किया। अपीलान्ट/वादिया का यह कथन कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे बिना सुने निर्णय पारित किया गया है, उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया के अधिवक्ता की बहस सुनकर निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–08–2016 के अपील की मयाद 29–10–2016 होती है, जबकि अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–12–2016 को

प्रस्तुत की गयी है अर्थात करीब 2 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अतः अल्प विलम्ब होने से न्यायहित में अपील में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय में जवाबदावा सिर्फ प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अन्य प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी का कथन लिखकर वाद खारिज कर दिया, जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय को तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा प्रकरण पुनः निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि जमाबन्दी सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट संवत् 2010 में विवादित भूमियां देवीसिंह पिता किशोरसिंह के खाते में दर्ज हैं, जिससे स्पष्ट है कि किशोरसिंह की मृत्यु संवत् 2010 अर्थात सन् 2053 से पूर्व ही हो चुकी थी। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम सन् 2005 में प्रभाव में आया, जिसके अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार भूमियां सभी पुरूष व महिला वैध वारिसों के नाम दर्ज होनी चाहिए, किन्तु किशोरसिंह की मृत्यु संवत् 2010 यानि सन् 2053 से पूर्व ही हो चुकी थी इसी कारण भूमियां उनके पुत्र देवीसिंह के नाम दर्ज हुई हैं एवं देवीसिंह की मृत्यु पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 अनुसार भूमियां देवीसिंह के भाई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में निहित हुई हैं, जो जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 के अवलोकन से स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय ने हालांकि प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है, किन्तु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट विवेचन करते हुए वादिया के पिता किशोरसिंह की मृत्यु संवत् 2010 अर्थात

सन् 2053 से पूर्व अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पूर्व हो जाने के आधार पर वादिया का विवादित भूमियों में किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं माना है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–08–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 25–11–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(प्रियंका जोधावत)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

# डिगरी व सीगे अपील

## (ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

## (Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.** .....

**श्रीमती हंजा बाई (पिता किशोरसिंह) पत्नी सरदारसिंह राजपूत, निवासी बिछीवेडा, तह. गिर्वा, जि. उदयपुर** बनाम **मनोहरलाल पिता किशोरसिंह राजपूत निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**146 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....30**.....माह.....**08**.....**2016**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**25**....माह.....**11**.....सन् **2019** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी..**श्री खेमराज डांगी**..मनजानिब अपीलान्ट व..**श्री सुनीलकुमार शर्मा/हनुमानप्रसाद शर्मा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–08–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**.....माह.....**11**.....**2019** को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. वकील फीस बाबत .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील.....<br>मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Date: 2019.12.05 15:16:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: